



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272132
CG-DL-E-28042026-272132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]
No. 294]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 8, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2026/VAISAKHA 8, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

फा. सं. आरसीडी-09002/1/2026-नियामक-एफएसएसआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप विनियम, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में, -

(1) अनुसूची IV, जो सुझावात्मक पैकेजिंग सामग्रियों की सूची से संबंधित है, में क्रम संख्या 10 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

11.	पान मसाला	(क) कागज, पेपर बोर्ड, सेलूलोज़ या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सामग्री—ऐसी सामग्री में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, पीवीसी या कोई भी सिंथेटिक पॉलिमर, को-पॉलिमर या लैमिनेट शामिल हैं। साथ ही इसमें एल्युमिनियम फॉयल या धातुयुक्त (मेटलाइज्ड) परतें भी नहीं होनी चाहिए। (ख) टिन या कांच के कंटेनर। (ग) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (f) और (i), जो नीचे उद्धृत हैं, भी लागू होंगे: “4(1)(f) प्लास्टिक सामग्री से बने सैशे का उपयोग गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए नहीं किया जाएगा; 4(1)(i) प्लास्टिक सामग्री, किसी भी रूप में, जिसमें विनाइल एसीटेट - मैलिक एसिड - विनाइल क्लोराइड को-पॉलिमर भी शामिल है, का उपयोग गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के किसी भी रूप की पैकेजिंग में नहीं किया जाएगा।”
-----	-----------	---

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./63/2026-27]

नोट - खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल सं. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, दिनांक 24 दिसंबर, 2018 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए:

1. फा. सं. Std/SP-08/A-1.2019/N-01, दिनांक 25 जनवरी, 2022;
2. फा. सं. Std/SP-20/T(Migration-N), दिनांक 30 अगस्त, 2022; तथा
3. फा. सं. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N), दिनांक 28 मार्च, 2025।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

F. No. RCD-09002/1/2026-Regulatory-FSSAI.— The draft regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026
2. In the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, -,
 - (1) In schedule IV relating to the list of suggestive packaging materials, after the entries at Sl. No. 10, following shall be inserted namely;

11.	Pan Masala	(a) Paper, Paper Board, Cellulose or other naturally derived materials, such material shall be <i>free from any plastic including but not limited to Polyethylene, Polypropylene, Polyester, PVC, or any synthetic polymers, copolymers, or laminates</i> and also <i>free from Aluminium foil or metallized layers</i>; (b) Tin or glass containers; (c) The clause (f) and (i) of sub-rule 1 of Rule 4 of Plastic Waste Management Rules, 2016, as quoted below shall also apply: "4(1)(f) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala; 4(1)(i) plastic material, in any form including Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms"
-----	------------	--

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./63/2026-27]

Note. - The Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 1- 95/Std/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018 and subsequently amended vide notification numbers:

1. F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-01, dated 25th January 2022;
2. F.No. Std/SP-20/T(Migration-N), dated 30th August 2022; and
3. F.No. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N), dated 28th March 2025.